प्रेस को सूचना नोट (प्रेस विज्ञप्ति संख्या 80/2023)

तत्काल प्रकाशन के लिए

भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण

भादूविप्रा ने "एफएम रेडियो प्रसारण से संबंधित मुद्दों" पर अनुशंसाओं को जारी किया

नई दिल्ली, **5 सितंबर 2023 -** भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण (भादूविप्रा) ने आज "एफएम रेडियो प्रसारण से संबंधित मुद्दों" पर अपनी अनुशंसाएँ जारी की हैं।

2. सूचना और प्रसारण मंत्रालय (एमआईबी) ने दिनांक 11 मई 2022 के संदर्भ के माध्यम से भादूविप्रा अधिनियम, 1997 की धारा 11(1)(क) के तहत प्राधिकरण से निम्नलिखित मुद्दों पर अनुशंसाओं की मांग की है :

(i) एफएम फेज-III नीति दिशानिर्देश दिनांक 25.07.2011 में निर्धारित वार्षिक शुल्क के फॉर्मूले में एक ही बार लिए जाने वाले गैर-वापसी योग्य प्रवेश शुल्क (एनओटीईएफ) के लिंकेज को हटाना,

(ii) मौजूदा एफएम लाइसेंस की 15 साल की अवधि को 3 साल तक बढ़ाना ।

3. एफएम रेडियो प्रसारण से संबंधित विभिन्न मुद्दों पर चर्चा करने के लिए, प्राधिकरण ने 5 अगस्त 2022 को एआरओआई के प्रतिनिधियों के साथ एक बैठक की। एआरओआई के प्रतिनिधियों ने, अन्य बातों के अलावा, प्राधिकरण के विचार के लिए निम्नलिखित मुद्दे उठाए:

(i) निजी एफएम रेडियो चैनलों को स्वतंत्र समाचार बुलेटिन प्रसारित करने की अनुमति देना
(ii) मोबाइल हैंडसेट में एफएम रेडियो रिसीवर की उपलब्धता

4. इस संबंध में 09 फरवरी 2023 को एक परामर्श पत्र जारी किया गया था, जिसमें एफएम रेडियो प्रसारण से संबंधित मुद्दों पर हितधारकों की टिप्पणियां मांगी गई थीं। टिप्पणियाँ भेजने की अंतिम तिथि 09 मार्च 2023 थी और प्रति-टिप्पणियाँ भेजने की अंतिम तिथि 23 मार्च 2023 थी। भादूविप्रा को हितधारकों से 11 टिप्पणियाँ और 9 प्रति-टिप्पणियाँ प्राप्त हुईं। ये टिप्पणियाँ भादूविप्रा की वेबसाइट पर उपलब्ध हैं। इस संबंध में 26 अप्रैल 2023 को ऑनलाइन मोड के माध्यम से एक ओपन हाउस चर्चा भी आयोजित की गई थी।

5. परामर्श प्रक्रिया के दौरान हितधारकों से प्राप्त सभी टिप्पणियों/प्रति-टिप्पणियों पर विचार करने और मुद्दों के आगे के विश्लेषण के बाद, प्राधिकरण ने अपनी अनुशंसाओं को अंतिम रूप दिया है। अनुशंसाओं की मुख्य विशेषताएं नीचे दी गई हैं:

(i) एफएम रेडियो चैनल की वार्षिक लाइसेंस शुल्क को एक ही बार दिए जाने वाले गैर वापसी योग्य प्रवेश शुल्क (एनओटीईएफ) से अलग किया जाना चाहिए।
(ii) लाइसेंस शुल्क की गणना संबंधित वित्तीय वर्ष के दौरान एफएम रेडियो चैनल के सकल राजस्व (जीआर) के 4% के रूप में की जानी चाहिए। जीएसटी को सकल राजस्व (जीआर) से बाहर रखा जाना चाहिए।
(iii) सरकार कोविड-19 महामारी के कारण उत्पन्न चुनौतियों से निपटने के लिए एफएम रेडियो ऑपरेटरों को राहत प्रदान करने के लिए उचित उपाय कर सकती है।

(iv) निजी एफएम रेडियो ऑपरेटरों को प्रत्येक घंटे में 10 मिनट तक सीमित समाचार और समसामयिक मामलों के कार्यक्रम प्रसारित करने की अनुमति दी जानी चाहिए।

(v) समाचार सामग्री के लिए ऑल इंडिया रेडियो पर लागू कार्यक्रम आचार संहिता निजी एफएम रेडियो चैनलों पर भी लागू की जा सकती है।

(vi) एफएम रेडियो से संबंधित कार्य या सुविधाएं आवश्यक हार्डवेयर वाले सभी मोबाइल हैंडसेट पर सक्षम और सक्रिय रहने चाहियें । मोबाइल हैंडसेट में अंतर्निर्मित एफएम रेडियो रिसीवर किसी भी प्रकार की अक्षमता या निष्क्रियता के अधीन नहीं होना चाहिए।

(vii) मोबाइल फोन निर्माताओं (या आयातकों) द्वारा अनुपालन की निगरानी के लिए एमईआईटीवाई द्वारा, संयुक्त सचिव या उससे ऊपर के स्तर के एक वरिष्ठ अधिकारी की अध्यक्षता में, एक स्थायी समिति का गठन किया जा सकता है। समिति में एमआईबी, एआरओआई, एमएआईटी और आईसीईए जैसे प्रमुख हितधारकों को शामिल किया जाना चाहिए।

(viii) ऐसे मोबाइल हैंडसेटों, जिनमें एफएम रिसीवर के लिए आवश्यक कार्यक्षमता हो, में एफएम रेडियो कार्यक्षमता को सक्षम करने के संबंध में किसी भी गैर-अनुपालन के मामले की जानकारी या शिकायत दर्ज करने के लिए एक ऑनलाइन शिकायत निवारण पोर्टल प्रदान किया जाना चाहिए ।

6. अनुशंसाओं का पूरा विवरण ट्राई की वेबसाइट www.trai.gov.in पर उपलब्ध है।

7. किसी भी स्पष्टीकरण/जानकारी के लिए, श्री अनिल कुमार भारद्वाज, महानिदेशक, भादूविप्रा सीएसआर और सलाहकार (बी एंड सीएस) से दूरभाष नंबर +91-11-23237922 पर संपर्क किया जा सकता है।

(वी. रघुनंदन)
सचिव, भादूविप्रा